


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री मिथलेश प्रसाद पिता सुरेश प्रसाद निवासी ग्राम: कुमरांग कला, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 86, 48 और 33 के अधीन प्लॉट सं. 189, 775 और 658; एवं ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49 (रैयती) खाता सं. 40, 09 और 20 के अधीन प्लॉट सं. 128, 239, 338, 406, 439, 460, 569, 699, 85 और 141, कुल रकबा - 02.00 एकड़ (रैयती) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

- क. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 48, प्लॉट न. 775 जिसका रकबा 0.19 एकड़ है जिसे केवला स. 8637 दिनांक 14.07.1978 के माध्यम से सिद्धेश्वर सिंह पिता स्व. नागेश्वर सिंह के द्वारा नेहान गंडु पिता जंगली गंडु से खरीदगी की गयी थी इस जमीन को शंकर यादव पिता जगेश्वर यादव को केवला स. 783 दिनांक 19.03.2012 के माध्यम से सिद्धेश्वर सिंह पिता स्व. नागेश्वर सिंह से खरीदगी की गयी थी/-
- ख. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 33, प्लॉट न. 658 जिसका रकबा 0.03 एकड़ है जिसे वाद स. 128/1959-60 के माध्यम से सिद्धेश्वर सिंह पिता स्व. नागेश्वर सिंह के परदादा ने खरीदगी की गयी थी इस जमीन को संजय कुमार पिता अमृत राम को केवला स. 1168 दिनांक 27.02.2015 के माध्यम से सिद्धेश्वर सिंह पिता स्व. नागेश्वर सिंह से खरीदगी की गयी थी/

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 86, 48 और 33 के अधीन प्लॉट सं. 189, 775 और 658; एवं ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49 (रैयती) खाता सं. 40, 09 और 20 के अधीन प्लॉट सं. 128, 239, 338, 406, 439, 460, 569, 699, 85 और 141, कुल रकबा - 02.00 एकड़ (रैयती), जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री मिथलेश प्रसाद पिता सुरेश प्रसाद निवासी ग्राम: कुमरांग कला, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
17/8/22